ग्राम पंचायत खुन्नी पनोली, विकास खण्ड ननखरी, जिला शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016

1 प्रस्तावना

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि. प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत खुन्नी पनोली , विकास खण्ड ननखरी , जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री मति रीता देवी	23.01.2011 से 22.01.2016
2	श्री कुलदीप सिंह	23.01.2016 से लगातार

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री देवी सिंह	01.04.2013 से 25.08.2015 तक
2	श्री नारायण सिंह	26.08.2015 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:- ग्राम पंचायत खुन्नी पनोली के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	5(ख)	बैंक समाधान विवरण तैयार न करने के कारण रोकड़ बही और बैंक खातों के अन्त शेष मे अंतर पाया जाना	0.59
2	6	पंचायत के खाता “ख” से अर्जित ब्याज की राशि को खाता “क” में अन्तरित न किया जाना	0.32

3	7(क)	रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय के सम्बन्ध में रसीद इत्यादि जारी न किया जाना	0.40
4	7(ख)	रोकड़ बही में लेखांकित आय के सम्बन्ध में जारी रसीदों को आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न किया जाना	5.50
5	8	प्राप्त आय को संबन्धित बैंक खाते में जमा करवाए बिना सीधे तौर पर व्यय किए जाने बारे।	0.28
6	10	विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों ,Mustroll भुगतान हेतु नकद रोकड़ में किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना बारे।	8.14
7	11	दोहरा भुगतान।	0.15
8	14	दिनांक 31.03.2016 तक अनुदानो का उपयोग न किया जाना	19.74
9	15	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय किया जाना	2.51
10	16	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक स्टोर का क्रय करना	2.17
11	17	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टि न किया जाना	3.38
12	18	विभिन्न भुगतानों के सन्दर्भ में वाऊचर/अभिलेख इत्यादि उपलब्ध नहीं करवाए जाने बारे।	4.92
13	19	Integrated Water Shed Development Project के अंतर्गत लाभार्थियों से अंशदान की राशि को प्राप्त न किया जाना ।	0.53

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत खुन्नी पनोली , विकास खण्ड ननखरी, जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण , श्री अनिल शर्मा , अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 28.11.2016 से 01.12.2016 के दौरान ग्राम पंचायत देलठ में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया , जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	**आय**	**व्यय**
2013-14	05/2013	10/2013
2014-15	09/2014	07/2014
2015-16	03/2016	10/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत खुन्नी पनोली, विकास खण्ड ननखरी, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 291/2016 दिनांक 28.11.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, खुन्नी पनोली से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

सचिव , ग्राम पंचायत खुन्नी पनोली द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार MG NREGA & Integrated Water Shed Project के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और स्वः स्त्रोत की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में Ledger Accounts नहीं बनाए गए है। Ledger Accounts नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और स्वः स्त्रोत की आय, व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न **"परिशिष्ट- 1"** पर दिया गया है।

5 (क) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

ग्राम पंचायत खुन्नी पनोली की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) के अनुसार मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार करनी अनिवार्य है। अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत खुन्नी पनोली द्वारा अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण से दिनांक 31.03.2016 को विभिन्न रोकड़ बहीयों और संबन्धित बैंक खातों के अंत शेष में ₹59341/- का अन्तर था। विवरण निम्न दिया गया हैं। इस संदर्भ में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक रूप से सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरण तैयार न किए जाने के कारण यह अंतर है जिसका बैंक समाधान विवरणी तैयार कर के समाधान किया जायेगा। अत: नियमों की अवहेलना करके मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये भविष्य में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही के अंत शेष और बैंक खातों के अंत शेष के निम्न विवर्णानुसार पाए गए अन्तर को प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Particulars	**General Cash Book**
रोकड़बही के अनुसार तैयार की गई वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2016 को अंतिम शेष (Note :- दिनांक 01.04.2013 को दर्शाये गए Opening Balance में रोकड़बही में लेखांकित Cash in hand के अतिरिक्त विभिन्न Bank Account Pass Books में दर्शाये गए Bank Balances को भी सम्मलित किया गया है।)	**1968542.00**
Detail of Cash & Bank Balances as on 31.03.2016	
Cash in Hand	**15823.00**
Balance as per bank account 12368 of SBI KholiGhat	336588.00
Balance as per bank account 37461 of SBI KholiGhat	65889.00
Balance as per bank account 08327 of SBI KholiGhat	37500.00
Balance as per bank account 50935 of SBI KholiGhat	138.00
Balance as per bank account 61932 of SBI KholiGhat	9914.00
Balance as per bank account 0961 of SBI KholiGhat	260.00
Balance as per bank account 17315 of SBI KholiGhat	68858.00
Balance as per bank account 819 of H.P.State coopration bank	1283282.00
Balance as per bank account 1189 of H.P.State coopration bank	14290.00
Balance as per bank account 820 of H.P.State coopration bank	195341.00
Total	**2027883.00**
Difference	**59341.00**

6 पंचायत के खाता "ख" से अर्जित ब्याज ₹0.32 लाख की राशि को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को पंचायत निधि के स्व: संसाधनों के खाता **"क"** में अन्तरित किया जाना अपेक्षित हैं। परन्तु अंकेक्षण में पंचायत के खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की ₹31955/- को खाता **"क"** में अन्तरित नहीं किया गया था। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये, खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को खाता **"क"** में अन्तरित प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवधि 04/2013 से 03/2016 के दौरान खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि का विवरण

Year	Name of GIA	Amount of Interest Earned
	MG Nerga	2055.00
2013-14	IWSDP	21719.00
	MG Nerga	1810.00
2014-15	IWSDP	4074.00
	MG Nerga	149.00
2015-16	IWSDP	2148.00
	Total	**31955.00**

7 (क) रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय ₹0.40 लाख के सम्बन्ध में रसीद इत्यादि जारी न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार जब कभी भी पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की आय प्राप्त की जायेगी उस स्थिति में सचिव द्वारा फार्म-3 में उस प्राप्ति के बदले में रसीद जारी किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया निम्न दिये गए विवरण अनुसार अवधि 04/2013 से 03/2016 के दौरान ₹40200/- की प्राप्त आय के बदले में सचिव द्वारा कोई रसीद जारी नहीं की गई थी। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये। प्राप्त आय के बदले में रसीद जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Date of Receipt	Cash Book Page no.	Amount	From Where Amount Received
31.03.2016	21	40200	Shown as Honorarium
Total		**40200**	

(ख) रोकड़ बही में लेखांकित ₹5.50 लाख की आय के सम्बन्ध में जारी रसीदों को आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न किया जाना

अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में ₹549966/- की आय लेखांकित की गई थी , जिसका विवरण संलग्न **परिशिष्ट- 2** में दिया गया हैं परंतु आय के बदले जारी की गई रसीदों को आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया , जिस कारण से इन रसीदों के द्वारा प्राप्त राशि की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी। अत: आय के सम्बन्ध में जारी रसीदों को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8. प्राप्त ₹0.28 लाख की आय को संबन्धित बैंक खाते में जमा करवाए बिना सीधे तौर पर व्यय किए जाने बारे।

नियमानुसार सर्वप्रथम प्राप्त आय को पंचायत के बैंक खाते में जमा किया जाना और उसके उपरांत विभिन्न व्ययों हेतु उस बैंक खाते से राशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में प्राप्त आय की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न कार्य दिवसों को ₹27770/- की आय विभिन्न आय शीर्षकों के अंतर्गत प्राप्त की गई थी, इस प्राप्त राशि में से ₹27770/- को पंचायत के बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही सीधे तौर पर विभिन्न व्ययों का भुगतान करने हेतु प्रयोग किया गया था। ऐसे सभी व्ययों का विवरण निम्न दिया गया हैं। आय को सीधे तौर पर व्यय करना अपने आप में एक वित्तीय अनियमितता हैं। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। साथ ही भविष्य में प्राप्त आय को सर्वप्रथम पंचायत के बैंक खाते में जमा करके उसके उपरांत भुगतान हेतु प्रयोग में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

Cash Book Page No.	Detail of Cash Collected			Detail of Cash Expenditure out of Cash Receipt		
	Date of Receipt	Type of Receipt	Cash Collected	Date of Expenditure	Type of Expenditure	Amount of Expenditure
152	18.02.2015	Misc. Receipts	4550	18.02.2015	Office Expenditure	2120
				18.02.2015	जल पान पर व्यय	2579
10	17.08.2015	Misc. Receipts	860	17.08.2015	Office Expenditure	860
15	31.10.2015	Amount Collected from R.No. 134019 to 134034	1600	31.10.2015	जल पान पर व्यय	1600
18	15.01.2016	Amount Collected from R.No.	760	15.01.2016	जल पान पर व्यय	760

		135601 to 1356010, 134063,134052,134067,134035,134062				
24	31.03.2016	134501 to 134600,134601 to 134700	20000	31.03.2016	निर्माण दीवाल पंचायत Bill No. 323 P/O 20 चट्टे पत्थर	20000
Total			**27770**			**27919**
शेष 149/- की राशि दिनांक 18.02.2015 को दर्शाये गए CIH से व्यय की गई दर्शाई गई।						

9 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट -3** में दिये गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था , जोकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों ,Mustroll भुगतान हेतु ₹8.14 लाख का भुगतान नकद रोकड़ में किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना बारे।

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार 1000/- से अधिक राशि का भुगतान बैंक चैक द्वारा संबन्धित व्यक्ति को किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न व्ययों वाऊचरों, बैंक पास बुकों और चैक बुकों की Counterfoils की पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹814300/- के व्यय वाऊचरों/ Mustroll का भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता को न करके पंचायत प्रधान और पंचायत सदस्यों एवं सचिव को किया गया दर्शाया गया था। जाँच में यह भी पाया गया कि व्यय वाऊचरों पर तो भुगतान बैंक चैक संख्या अंकित करके बैंक चैक द्वारा ही दर्शाया गया था। जबकि बैंक पास बुकों और चैक बुकों की Counterfoils के अनुसार सभी बैंक चैक पंचायत प्रधान और पंचायत सदस्यों एवं सचिव के नाम जारी किए गए थे , ऐसे सभी भुगतानों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट- 4** पर दिया गया हैं। बैंक चैक को संबन्धित व्यक्ति के नाम जारी न करके अपितु पंचायत प्रधान और पंचायत सदस्यों एवं सचिव के नाम जारी करने से भुगतान की गई राशि की दुर्विनियोजना की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अत: नियमों की अनदेखी करके भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता व्यक्ति को न करके पंचायत प्रधान और पंचायत सदस्यों एवं सचिव के नाम जारी किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही

इन सभी भुगतानों की सत्यता की पड़ताल विभागीय तौर पर की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सभी भुगतान सीधे प्राप्तकर्ता के नाम जारी बैंक चैक से ही किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

11. ₹15000/- का दोहरा भुगतान

वाऊचर संख्या शून्य दिनांक 03/10/2015 से ₹75000/- का भुगतान बिल संख्या 0000036 दिनांक 26.09.2016 से मै. दीवान एसोसि एट मशोबरा, शिमला को 3 No. Street Light with complete installation हेतु किया गया था। अंकेक्षण में व्यय वाऊचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि वाऊचर संख्या शून्य दिनांक 07.10.2015 को रोकड़ बही पृष्ठ 14 पर उपरोक्त खरीदी गई 3 No. Street Light की Installation हेतु पुन: मै. दीवान एसोसि एट मशोबरा, शिमला को ₹15000/- का भुगतान किया गया दर्शाया गया था। इस प्रकार उपरोक्त फर्म को ₹15000/- का भुगतान दो बार किया गया। एक बार पूर्ण बिल के भुगतान के समय , और दूसरी बार 3 No. Street Light की Installation हेतु। व्यय वाऊचर और ₹15000/- के भुगतान का विवरण संलग्न **परिशिष्ट- 5(क),5(ख)** पर दिया गया हैं। अत: अधिक भुगतान दर्शाई गई 15000/- की राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

12. मध्य हिमालय जलागम परियोजना की अवधि 11/2011 से 03/2016 के दौरान वित्तीय लेनदेन का लेखांकन रोकड़ बही में न किया जाना ।

अंकेक्षण में ग्राम पंचायत से संबन्धित विभिन्न लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अवधि 11/2011 से 03/2016 के दौरान सचिव द्वारा मध्य हिमालय जलागम परियोजना के अंतर्गत वित्तीय लेनदेन को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया था। जोकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 6 के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक जाँच करने पर पाया गया कि इस परियोजना से प्राप्त धनराशि से कई प्रकार के वित्तीय लेनदेन किए गए थे , परंतु रोकड़ बही में लेखांकित न किए जाने के कारण इन वित्तीय लेनदेनों की अंकेक्षण में जाँच नहीं की जा सकी साथ ही संबन्धित बैंक खाते में दिनांक 31.03.2016 को ₹21525/- शेष थे , साथ ही सचिव ग्राम पंचायत ने अंकेक्षण को सूचित किया कि इस परियोजना से संबन्धित वित्तीय लेनदेनों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया हैं। **परिशिष्ट-6,** अवधि 11/2011 से 31.03.2016 के दौरान परियोजना धनराशि से किए गए वित्तीय लेनदेनों को रोकड़ बही में लेखांकित न किया जाना अपनेआप में एक गंभीर वित्तीय अनियमितता हैं , साथ ही रोकड़ बही में वित्तीय लेनदेनों को लेखांकित न किए जाने से वित्तीय अनियमितताओं/दुर्विनियोजन की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित

स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये परियोजना से संबन्धित वित्तीय लेनदेनों को रोकड़ बही में लेखांकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. बजट प्राक्कलन तैयार न करना

फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchyat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

14. अनुदान की ₹19.74 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्व: स्रोत्रों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट-7** के अनुसार दिनांक 31.03.2016 तक कुल ₹1974010/- उपयोग हेतु शेष थे। अत: अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापण संबन्धित संस्था को किया जाए।

15. निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹2.51 लाख का अनियमित व्यय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 से अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-8"** में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹250880/- का व्यय प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया , जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

16. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.17 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचरिकताए प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट-9"** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹216880/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. क्रय किए गए ₹3.38 लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टि यां न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि **"परिशिष्ट-10"** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान क्रय की गई ₹337642/- की विभिन्न मदों को क्रय करने के उपरांत भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18. ₹4.92 लाख के भुगतानों के सन्दर्भ में वाऊचर/ अभिलेख इत्यादि उपलब्ध नहीं करवाए जाने बारे।

अंकेक्षण अवधि के दौरान किए गए ₹492035/- के विभिन्न भुगतान, जिनका विवरण **परिशिष्ट-11** पर दिया गया हैं, अंकेक्षण दल को आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए। इस संदर्भ में सचिव ग्राम पंचायत को इन सभी व्यय वाऊचरो को आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत करने बारे आग्रह किया गया था। परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई सूचना अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं की गई। अत: इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

19. Integrated Water Shed Development Project के अंतर्गत लाभार्थियों से अंशदान की ₹0.53 लाख को प्राप्त न किया जाना।

Integrated Water Shed Development Project(हरयाली) के नियमानुसार लाभार्थी को अपनी जमीन पर सिंचाई हेतु टैंक इत्यादि के निर्माण हेतु आर्थिक मदद प्रदान की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत निर्माण किए टैंक की लागत का सामान्य वर्ग से 10% और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति से 5% की दर से का अंशदान लिया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में उपरोक्त योजना से संबन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न लाभार्थीयों से ₹53153 का अंशदान **परिशिष्ट- 12** के अनुसार प्राप्त नहीं किया गया था। अत: परियोजनाओं के नियमों की अनदेखी करके लाभार्थियों से अंशदान की राशि की वसूली न करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही वर्तमान समय में इस राशि की वसूली लाभभोगी/लाभार्थी व्यक्तियों से की जानी सुनिश्चित की जाए। इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20. अनियमित व्यय

वाऊचर संख्या 64 CBP No. 118 Dt. 23.12.2013 ₹10000/-

उपरोक्त व्यय वाऊचरों के माध्यम से ₹10000/- की राशि का भुगतान सचिव, ग्रामीण स्वच्छता समिति खोली घाट को "Total Health Campaign" हेतु किया गया था। अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि इस भुगतान के बदले में उपरोक्त वर्णित समिति के प्रधान/सचिव से भुगतान प्राप्ति की कोई रसीद/पावती अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त इस भुगतान के एवज में समिति से वर्तमान समय तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। भुगतान प्राप्ति की रसीद/पावती उपलब्ध न होने के कारण इस भुगतान की सत्यता की पूर्ण जांच नहीं की जा सकी , साथ ही वर्तमान समय तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने से यह संदेह प्रतीत होता हैं कि क्या वास्तव में इस राशि का उपयोग उसी उद्देश्य हेतु किया गया हैं जिसके लिए यह राशि प्राप्त की गई थी। अत: भुगतान के बदले भुगतान प्राप्ति की रसीद/पावती प्राप्त न करने एवं वर्तमान समय तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली संबन्धित समिति से की जानी सुनिश्चित की जाए।

21. चौकीदार, सिलाई अध्यापिका एवं अन्यों को किए गए के भुगतान के संदर्भ में आवश्यक उपस्थिति रजिस्टर इत्यादि न बनाये जाने बारे।

अवधि 04/2013 से 03/2016 के दौरान चौकीदार ,सिलाई अध्यापिका एवं अन्यों को किए गए भुगतान की पड़ताल करने पर पाया कि इन सभी कर्मचारियों को मासिक आधार पर भुगतान किया गया था। परन्तु जिस अवधि के लिए भुगतान किया गया था उस अवधि का उपस्थिति रजिस्टर नही बनाया गया था। जिसके कारण इस सभी कर्मचारियों को किए गए भुगतान की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी। अत: इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

22. विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर /अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के खाते(Ladgers)	7	29(1)
6	वर्गीकृत सार (Classified Abstract)	8	29(4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

23. प्रत्यक्ष सत्यापन

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का

नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24. विविध अनियमितताए

(क) रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की प्राप्त आय और अनुदानों हेतु बैंक में दो खातों में जमा करवाया जायेगा। यह खाते पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड -B होगे। पंचायत फ़ंड - A में ग्राम पंचायत के स्व: स्रोत्र आय जमा होगी जबकि पंचायत फ़ंड -B में अनुदानों से संबन्धित आय जमा की जायेगी। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत की आय-व्यय और अनुदानों के लेखांकन हेतु निम्न रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है, तथा साथ ही प्राप्त स्व : स्रोत्र आय और विभिन्न अनुदानों को विभिन्न बैंक खातों में तदानुसार ही जमा करवाया गया था, जबकि उपरोक्त नियम के अनुसार दो बैंक खाते खोले जाने थे और पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड -B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन किया जाना चाहिए था। अत: पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड -B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

General Cash Book	इस रोकड़बही में Own Sources और विभिन्न GIA (Other than Water Shed Grant, एवं MANGERGA) का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for MG NAREGA	इस रोकड़बही में MG NAREGA से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for Integrated Water Shed Grant	इस रोकड़बही में Integrated Water Shed Grant से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।

ग्राम पंचायत खुन्नी पनोली द्वारा हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) के अनुसार वर्ष के अंत में रोकड़ बही में हस्तगत राशि के साथ संबन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। अत: सभी रोकड़ बहियों का निर्माण उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न किए बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त अवधि 01.04.2015 से 31.03.2016 तक MGNerga से संबन्धित रोकड़ बही को पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। अत: इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म -7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था , परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। अत: नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर वर्गीकृत सार का निर्माण किया जाना अनिवार्य था , परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर वर्गीकृत सार का निर्माण नहीं किया गया था। वर्गीकृत सार का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय को बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अत: नियम 29(4) के अनुसार वर्गीकृत सार का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत प्रतिभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत खुन्नी पनोली द्वारा नहीं बनाई गई थी। अत:93(ए)(1) के अंतर्गत प्रतिभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(ङ) ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की पढ़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत खुन्नी पनोली द्वारा आय संग्रह के लिए जारी रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं ? अत: आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न

किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही रसीदों को जारी करते समय इसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।

25. लघु आपति विवरणिका :- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है , लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

26. निष्कर्ष:- लेखों मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / –
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 51 / 2016–खण्ड–1–1865–1868 दिनाँकः 27.03.2017
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत खुन्नी पनोली, विकास खण्ड ननखरी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ननखरी तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता / –
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.